न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **15/25 (वाद)**

GCMS No. : 2025/28

1. पन्नालाल जीणावत पिता किशनलाल जीणावत निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।

...........वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर (राज.)
2. भूमिधारी एवं पदेन तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. पटवारी हल्का मावली. तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
4. स्व. उंकारलाल पिता मगनीराम महाजन लावटी, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री ललित वसीटा, अधिवक्ता वादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 11.07.2025

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 में पेश कर निवेदन किया कि मौजा मावली, पटवार हल्का मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 3058 रकबा 0.0890 कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 में स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज है।

2. यह कि वादी के दादा जीतमल, जोधराज जी सुत किशनलाल जी, मोहनलालजी ने प्रतिवादी संख्या 4 से उनकी खातेदारी एवं कब्जेशुदा जमीन दिनांक 5.2.1936 को 300/– रुपया कलदार में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 5.2.1936 को करवाई थी। उक्त जमीन पर तत्समय से ही वादी के दादा, दादा की मृत्यु के बाद उनके पिता व पिता की मृत्यु के पश्चात् उक्त वाद वर्णित भूमि पर वादी काबिज हो शांतिपूर्वक काश्त कर रहा हूं। पंजिकृत दस्तावेज की पंक्ति संख्या 3 पर खेत नम्बर 1973 रकबा सवा दो बीघा 3 बिस्वा एवं पंक्ति संख्या 9 पर खड्डा आधा बीघा का बेचान अंकित कर रखा है। इसमें आराजी संख्या 1973 तत्कालीन पटवारी द्वारा वादी के पिता के खाते दर्ज कर दिया था किन्तु आधा बीघा खड्डा जिसके आराजी संख्या 2203/1 था जो लिपिकिय त्रुटी से खातेदारी में दर्ज होने से रह गया। जिसकी जानकारी वादी को लम्बे समय पश्चात् हुई जिसकी जानकारी होने पर दस्तावेज संकलित कर यह वाद पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं।

3. यह कि वाद वर्णित भूमि के सेटलमेन्ट [illegible] के आराजी संख्या 1973 रकबा सवा दो बीघा 3 बिस्वा थे जि[illegible] नम्बर [illegible] रकबा 3 बीघा होकर उक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:11:29 IST
Reason: SelfAttested

वादी के पिता किशनलालजी पिता जीतमल के नाम दर्ज हुई। इसी के साथ जिस खड्डे का रजिस्ट्री में उल्लेख है उसके सेटलमेन्ट से पूर्व आराजी संख्या 2203/1 रकबा आधा बीघा थे जो सेटलमेन्ट के पश्चात् आराजी संख्या 3058 हो रकबा ग्यारह बिस्वा हुआ जो भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट की पानडी सम्वत 2022–23 में कॉलम संख्या 24 जिसमें वर्तमान कृषक का नाम दर्ज किये जाने के कॉलम में वादी के पिता किशनलालजी का नाम अंकित कर रखा है किन्तु राजस्व अधिकारियों की भूल से रेकर्ड जमाबन्दी में अंकन करने से लिपिकिय त्रुटी स्वरुप रह गया जिसे संशोधित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे।

4. यह कि दोनों भाई किशनलाल व मोहनलालजी ने अपनी जमीन जायदाद का आपसी सहमति एवं विधि सम्मत बंटवाड़ा किया जिसमें उक्त वाद वर्णित आराजी संख्या 1973 जो सेटलमेन्ट के पश्चात् आराजी संख्या 3055 होकर उक्त आराजी किशनलाल पिता श्री जीतमलजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। मोहनलालजी जोधराजजी के दत्तक पुत्र होने से जोधराजजी की जमीन जायदाद पर मोहनलालजी का नाम दर्ज हुआ जिसका उल्लेख भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट की पानडी सम्वत् 2022–23 में अंकित है। वादी मोहनलालजी का जाईन्दा पुत्र होकर किशनलालजी के दत्तक पुत्र होने से किशनलालजी की समस्त जमीन जायदाद का वादी एक मात्र उत्तराधिकारी होकर समस्त जमीनें वादी के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हुई।

5. यह कि उक्त वाद वर्णित भूमि वादी के दादा जीतमल पिता श्री जोधराजजी सुत किशनलालजी, मोहनलालजी द्वारा क्रय की गई थी। जो क्रय किये जाने के पश्चात् जीतमल जोधराजजी की संयुक्त खातेदारी की भूमियों का बंटवारा उन्होंने अपने जीवनकाल में ही कर लिया था जिसमें उक्त वाद वर्णित आराजी संख्या 1973 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि जीतमल पिता श्री जयदेवजी ब्राहम्ण के हिस्से में आई थी। जो नामान्तरकरण संख्या 557 दिनांक 5.9.1971 द्वारा उक्त जमीन किशनलाल मोहनलाल पिता श्री जीतमलजी के खाते दर्ज हुई जिसके नामान्तरकरण की प्रति साथ संलग्न है। किशनलालजी के निधन हो जाने पर उनकी समस्त जमीन वादी के नाम पर विरासत एवं गोदपुत्र के आधार पर दर्ज हुई जिससे उक्त खड्डा भूमि आराजी संख्या 3058 वादी स्वयं के नाम खातेदार काश्तकार घोषित फरमाये जाने का अधिकारी है।

6. यह कि प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त खातेदारी कृषि भूमियां वादी के पूर्वजों एवं अन्य को विक्रय कर दी तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 4 उंकारलाल पिता श्री मगनीरामजी महा[illegible]दी अविवाहित होकर लाऔलाद फौत हुए। वादी द्वारा जानकारी लेने पर पता [illegible] की उंकारलालजी के कोई विधिक्

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:11:29 IST
Reason: SelfAttested

वारिसान भाई बन्धु नहीं रहे जिससे प्रतिवादी संख्या 4 के स्थान पर किसी अन्य को पक्षकार बनाया जाना सम्भव नहीं है। वादी यदि उंकारलालजी के कोई विधिक वारिसान अस्तित्व में हो तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उनकी तामिल करवाने एवं पक्ष प्रस्तुत करवाने को वादी तत्पर है।

7. अंत में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री फरमाई जावे उक्त वर्णित कृषि भूमि ग्राम मावली, पटवार हल्का मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) की वर्तमान जमाबन्दी में वर्णित आराजी संख्या 3058 रकबा 0.0890 हेक्टेयर भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार घोषित फरमाया जावे एवं राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम अंकित फरमाया जावे।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 लाऔलाद फौत होने की रिपोर्ट आयी। प्रतिवादी संख्या–1 से 3 की और से तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली की आराजी संख्या 3058 रकबा 0.0890 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में ऊकारलाल पुत्र मगनीराम जाति महाजन के नाम दर्ज है। मौके पर उपस्थित मौतबिरानों से उक्त खातेदार श्री ऊंकारलाल एवं इनके वारिसानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि श्री ऊंकारलाल का परिवार यहां (मावली) से लगभग 50–60 वर्ष पूर्व कहीं अन्यत्र चला गया। उपस्थितान् द्वारा श्री ऊंकारलाल के वारिसानों के संबंध में अनभिज्ञता जताई गई। मौके पर उक्त आराजी संख्या 3058 रकबा 0.0890 हेक्टेयर पड़त होकर इसका उपयोग उपभोग मौतबिरानों द्वारा श्री पन्नालाल जीणावत दत्तक पुत्र किशनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मावली द्वारा किया जाना बताया गया।

9. प्रकरण में तनकीयात कायम की आवश्यकता नही होने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी वादी के तहत गवाह पीडब्ल्यू 1 वादी स्वयं श्री पन्नालाल जीणावत पिता किशनलाल जीणावत द्वारा प्रस्तुत कर दस्तावेजात मौजा मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 66 प्रदर्श 1, विक्रय पत्र दिनांक 05.02.36 मेवाड स्टेट पेज 1 से 3 असल प्रदर्श 2 एवं छायाप्रति पत्रावली पर पेज 1 से 3 प्रदर्श 2ए, भू प्रबन्ध विभाग का खसरा मिलान पत्रक प्रदर्श 3, मौजा मावली के नामान्तरकरण संख्या 557 की नकल प्रदर्श 4 करवाए गए।

10. अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने ग्राम मावली, पटवार हल्का मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 66 आराजी संख्या 3[illegible]बा 0.0890 हेक्टेयर भूमि जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज है उसे स्वयं के नाम खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:11:29 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार दर्ज किये जाने हेतु वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ठोस आधारों पर आप माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जिसे स्वीकार फरमाया जाकर वाद डिक्री फरमाया जावे। वादी के दादा जीतमल, जोधराजजी सुत किशनलालजी, मोहनलालजी ने प्रतिवादी संख्या 4 से उनकी खातेदारी एवं कब्जेशुदा जमीन दिनांक 5.2.1936 को 300/– रुपया कलदार में खरिद कर कब्जा प्राप्त किया था जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 5.2.1936 को करवाई थी। उक्त जमीन पर तत्समय से ही वादी के दादा, दादा की मृत्यु के बाद उनके पिता व पिता की मृत्यु के पश्चात् उक्त वाद वर्णित भूमि पर वादी काबिज हो शांति पूर्वक काश्त कर रहा हूं। उक्त विक्रय पत्र की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है जो साक्ष्य में प्रदर्शित करवाये गये है। पंजीकृत दस्तावेज की पंक्ति संख्या 3 पर खेत नम्बर 1973 रकबा सवा दो बीघा 3 बिस्वा एवं पंक्ति संख्या 9 पर खड्डा आधा बीघा का बेचान अंकित कर रखा है। इसमें आराजी संख्या 1973 तत्कालिन पटवारी द्वारा वादी के पिता के खाते दर्ज कर दिया था किन्तु आधा बीघा खड्डा जिसके आराजी संख्या 2203/1 था जो लिपिकिय त्रुटी से खातेदारी में दर्ज होने से रह गया। जिसकी जानकारी वादी को लम्बे समय पश्चात् हुई जिसकी जानकारी होने पर दस्तावेज संकलित कर उक्त वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया। वाद वर्णित भूमि के सेटलमेन्ट से पूर्व के आराजी संख्या 973 रकबा सवा दो बीघा 3 बिस्वा थे जिसके नये नम्बर 3055 रकबा 3 बीघा होकर उक्त आराजी वादी के पिता किशनलालजी पिता जीतमल के नाम दर्ज हुई। इसी के साथ जिस खड्डे का रजिस्ट्री में उल्लेख है उसके सेटलमेन्ट से पूर्व आराजी संख्या 2203/1 रकबा आधा बीघा थे जो सेटलमेन्ट के पश्चात् आराजी संख्या 3058 हो रकबा ग्यारह बिस्वा हुआ जो भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट की पानडी सम्वत 2022–23 में कॉलम संख्या 24 जिसमें वर्तमान कृषक का नाम दर्ज किये जाने के कॉलम में वादी के पिता किशनलालजी का नाम अंकित कर रखा है किन्तु राजस्व अधिकारियों की भूल से रेकर्ड जमाबन्दी में अंकन करने से लिपिकिय त्रुटी स्वरुप रह गया जिसे संशोधित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। दोनों भाई किशनलाल व मोहनलालजी ने अपनी जमीन जायदाद का आपसी सहमति एवं विधि सम्मत बंटवाड़ा किया जिसमें वाद वर्णित आराजी संख्या 1973 जो सेटलमेन्ट के पश्चात् आराजी संख्या 3055 होकर उक्त आराजी किशनलाल पिता श्री जीतमलजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। मोहनलालजी जोधराजजी के दत्तक पुत्र होने से जोधराजजी की जमीन जायदाद पर मोहनलालजी का नाम दर्ज हुआ जिसका उल्लेख भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट की पानडी सम्वत् 2022–23 में अंकित है। वादी मोहनलालजी का जाईन्दा पुत्र होकर किशनलालजी के दत्तक पुत्र होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:11:29 IST
Reason: SelfAttested

किशनलालजी की समस्त जमीन जायदाद का वादी एक मात्र उत्तराधिकारी होकर समस्त जमीनें वादी के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हुई। वाद वर्णित भूमि वादी के दादा जीतमल पिता श्री जोधराजजी सुत किशनलालजी, मोहनलालजी द्वारा क्रय की गई थी। जो क्रय किये जाने के पश्चात् जीतमल जोधराजजी की संयुक्त खातेदारी की भूमियों का बंटवारा उन्होंने अपने जीवनकाल में ही कर लिया था जिसमें वाद वर्णित आराजी संख्या 1973 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि जीतमल पिता श्री जयदेवजी ब्राहम्ण के हिस्से में आई थी। जो नामान्तरकरण संख्या 557 दिनांक 5.9.1971 द्वारा उक्त जमीन किशनलाल मोहनलाल पिता श्री जीतमलजी के खाते दर्ज हुई जिसके नामान्तरकरण की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। किशनलालजी के निधन हो जाने पर उनकी समस्त जमीन वादी एक मात्र के नाम पर विरासत एवं गोदपुत्र के आधार पर दर्ज हुई जिससे उक्त खड्डा भूमि आराजी संख्या 3058 वादी स्वयं के नाम खातेदार काश्तकार घोषित फरमाये जाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त खातेदारी कृषि भूमियां वादी के पूर्वजों एवं अन्य को विक्रय कर दी तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 4 उंकारलाल पिता श्री मगनीरामजी महाजन लावटी अविवाहित होकर लाऔलाद फौत हुए। वादी द्वारा जानकारी लेने पर पता चला की उंकारलालजी के कोई विधिक् वारिसान भाई बन्धु नहीं रहे जिससे प्रतिवादी संख्या 4 के स्थान पर किसी अन्य को पक्षकार बनाया जाना सम्भव नहीं है। वादी यदि उंकारलालजी के कोई विधिक् वारिसान अस्तित्व में हो तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उनकी तामिल करवाने एवं पक्ष प्रस्तुत करवाने को वादी तत्पर रहा। तहसीलदार मावली द्वारा आप माननीय न्यायालय में प्रस्तुत जवाब एवं रिपोर्ट स्पष्ट रुप से वादी के वाद में वर्णित अभिवचनों का समर्थन करते हुए अंकन किया कि उंकारलाल पिता मगनीराम महाजन पिछले 50 वर्षों से मावली में नहीं होकर उसकी कोई जानकारी नहीं है। वाद वर्णित भूमि पर पन्नालाल जीणावत बाम्हण का कब्जा है। वादी ने अपने वाद पत्र एवं शपथ पत्र में स्पष्ट रुप से अंकन किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 उंकारलाल कुंवारा होकर निःसन्तान फौत हुआ और उनके कोई निकटतम रिश्तेदार नहीं है।

11. अंत में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री फरमाई जावे कि उक्त वर्णित कृषि भूमि ग्राम मावली, पटवार हल्का मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) की वर्तमान जमाबन्दी में वर्णित आराजी संख्या 3058 रकबा 0.0890 हेक्टेयर भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार घोषित फरमाया जावे एवं राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम [illegible] फरमाया जावे। वाद व्यय वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:11:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। अन्य मुफिद दाद जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलाई जावे।

12. हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस को समायत किया, प्रकरण में वर्णित तथ्यों पर मनन् किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रदर्श 1 मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 3058 पर दर्ज आराजी नम्बर 0.0890 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में उंकारलाल पुत्र मगनीराम सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श 3 भू—प्रबंध विभाग का मिलान पत्रक अनुसार उक्त हाल आराजी नम्बर 3058 के साबिक आराजी नम्बर 2203/1 होना जाहीर होता है। प्रदर्श 2 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 05.02.36 के अनुसार आराजी नम्बर 1973 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि का ही विक्रय करना प्रतीत होता है। वादग्रस्त भूमि के आराजी नम्बर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अंकित नही है।

वादी द्वारा आराजी नम्बर 3058 जिसके साबिक आराजी नम्बर 2203/1 के संबंध में क्रय के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 05.02.36 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त विक्रय पत्र में वादग्रस्त आराजी नम्बर 3058 तथा इसके साबिक आराजी नम्बर 2203/1 अंकित नही है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का विक्रय खातेदार द्वारा नही किया गया था। वादी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि की किस्म खड्डा अंकित थी। विक्रय पत्र में खड्डा अंकित करते हुए विक्रय किया गया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि विक्रय पत्र पूर्ण करने के लिए आराजी नम्बर अंकित करना आवश्यक है। केवल इस कथन के माध्यम से वादग्रस्त भूमि का विक्रय करना नही माना जा सकता है। इस प्रकार वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि वादग्रस्त भूमि का वादी के मौरूस को विक्रय किया गया हो। वादी द्वारा विक्रय दिनांक 05.02.36 का प्रस्तुत किया है। इस प्रकार वादी द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है वह दस्तावेज लगभग 89 वर्ष पहले का प्रस्तुत किया गया है। यदि वादग्रस्त भूमि को वादी के मौरूस द्वारा वास्तव में ही क्रय किया गया था तो इससे पूर्व वादी द्वारा चुनौती क्यों नही दी गई। इस संबंध में वाद पत्र में कोई उल्लेख नही किया गया है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त का भूमि वर्तमान खातेदार उंकारलाल पिता मगनीराम है। उक्त खातेदार की मृत्यु होना स्वयं वादी स्वीकार कर रहा है उसके पश्चात भी वादी द्वारा खातेदार के वारिसान को पक्षकार नही बनाया जाकर मृतक को प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में पक्षकार बनाया गया जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:11:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायोचित नही है। वादी का कथन है कि उक्त प्रतिवादी संख्या 4 लाऔलाद फौत हो चुका है। इसके वारिसान का जानकारी नही है। इस संबंध में कानून की स्थिति स्पष्ट है कि मृतक खातेदार के वारिसान के संबंध में वादी को ही बताना होगा। वादी द्वारा वाद पत्र में अपने स्वयं के खानदान का सजरा भी प्रस्तुत नही किया। इससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद पत्र स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नही किया गया है।

वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी द्वारा बहस में कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा वादी का ही है। तहसीलदार द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा वादी का है। इससे जाहीर होता है कि वादी द्वारा प्रतिकुल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कानून की स्थिति स्पष्ट है कि प्रतिकूल/पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं, केवल धारा 63(1)(4) के तहत् खातेदारी अधिकार समाप्त होने के ही प्रावधान हैं। RRT 2011 पेज 721 के वृहत पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीनतम न्यायिक निर्देश आर. आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का प्रावधान हीं नहीं होना वर्णित किया हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर.आर.डी. 14.06.2014 पेज 352 अनुसार इस प्रकार के प्रावधान को नहीं माना है। स्पष्टतया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्जे या दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट विधिक निर्देश हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू—राजस्व अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:11:29 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

1. पन्नालाल जीणावत पिता किशनलाल जीणावत निवासी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर (राज.)
2. भूमिधारी एवं पदेन तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. पटवारी हल्का मावली. तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
4. स्व. उंकारलाल पिता मगनीराम महाजन लावटी, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 15/25 (वाद) GCMS No. – 2025/28

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 11.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:11:29 IST
Reason: SelfAttested